46

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध– 4259/2018/सीधी/आ.अ.

प्रकरण क्रमांक– 3883/2017 जिला सीधी

विविध मैसर्स– एसोसिएटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, खोड़ी ग्राम, बड़वाह, जिला खरगौन (म.प्र.)

.....अपीलार्थी

बनाम

1– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2– उपायुक्त आबकारी, सम्भागीय उड़नदस्ता, जिला– रीवा

3– जिला आबकारी अधिकारी, जिला सीधी

......प्रतिअपीलार्थीगण

श्री आलोक शर्मा अभि० द्वारा आज दि. 9-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-7-18 नियत।

9-7-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

आदेश पत्रिका के पृष्ठ क्रमांक सही कराए जाने बावत्।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1– यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अन्तिम आदेश दिनांक 03.04.2018 को पारित किया गया है तथा प्रकरण में धारा 5 अवधि विधान के सन्दर्भ में आवेदन एवम् अपील को निरस्त किया गया है, जिसके सन्दर्भ में अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की जा रही है।

2– यहकि, अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र दिनांक 10.05.2018 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त करते समय प्रतिलिपि विभाग के कर्मचारियों द्वारा यह कहते हुए अपीलार्थी को प्रमाणित प्रति देने से इन्कार कर दिया कि उपरोक्त आदेश पत्रिका के ऊपर प्रकरण क्रमांक– 3883 दर्ज है, जबकि उसके निरन्तर पृष्ठ पर अर्थात पृष्ठ क्रमांक 2 पर प्रकरण क्रमांक– 3883 के स्थान पर प्रकरण क्रमांक– 3886 अंकित हो गया है। इस कारण

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक विविध / 4259 / 2018 / सीधी / आबकारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
2-8-18	आवेदक मैसर्स एसोसिएटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेउ खेड़ी ग्राम बड़वाह जिला खरगौन के प्रबंधक स्वयं उपस्थित होकर उनके द्वारा आदेश पत्रिका के द्वितीय पृष्ठ पर प्रकरण कमांक को त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक तीन / अपील / आबकारी / 2017 / 3883 में पारित आदेश दिनांक 3.4.18 में आदेश पत्रिका के पृष्ठ कमांक –2 पर प्र0 कमांक तीन / अपील / आबकारी / 2017 / 3883 के स्थान पर प्र0 क0 तीन / अपील / आबकारी / 2017 / 3886 हो गया है। उसे सुधार करने का अनुरोध किया गया है। 2–आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा आदेश पत्रिका के पृष्ठ कमांक–2 पर प्रकरण कमांक तीन / अपील / आबकारी / 2017 / 3886 के स्थान पर प्र0 क0 तीन / अपील / आबकारी / 2017 / 3883 पढ़ा जाये। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	